

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा०/92/2016-1/96/2016

लखनऊ: दिनांक १०/१ सितम्बर, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 अनुदान संख्या-83 आयोजनागत मद में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य स्तर से कमश: केन्द्रांश रु० 1789.83 व राज्यांश रु० 1193.22 लाख इस प्रकार कुल रु० 2983.05 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-52/2016/2461/33-3-2016-100(17)/2015 दिनांक 20 सितम्बर, 2016 (प्रति संलग्न) द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की आय व्यय में प्राविधिक धनराशि रु० 89237.25 लाख की धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश रु० 1789.83 लाख व राज्यांश रु० 1193.22 लाख इस प्रकार कुल योग रु० 2983.05 लाख (रूपया उन्तीस करोड़ तिरासी लाख पाँच हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। शासनादेश सं०-२४/2016/1428/33-3-2016-100(17)/2015, दिनांक 02-06-2016 के द्वारा रु०-९१९१.३३ लाख तथा शासनादेश सं०-३५/2016/2156/33-3-2016-१००(17)/2015, दिनांक 09-08-2016 के द्वारा रु०-४११८.६२ लाख की धनराशि पूर्व में जारी की जा चुकी है। निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु० 2983.05 लाख (रूपया उन्तीस करोड़ तिरासी लाख पाँच हजार मात्र) आवंटित की जा रही है:-

1— आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) के अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-१/2016/बी-१-७४६/दस-२०१६-२३१/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3— उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4— इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाये परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

5— भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्थानुसार उक्त आवंटित धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमतीनगर, लखनऊ में उ०प्र० स्टेट सेनीटेशन मिशन (एस०एस०एस०) के नाम से खोले गये खाता संख्या-521302010060034 आई०एफ०एस०सी० कोड य०बी०आई०एन०-०५५२१३५ में जमा किया जायेगा।

6— भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त आवंटित धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

7— उक्त धनराशि का व्यय एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के लिए योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

8— उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या— 83 के लेखाशीषक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजना-0103-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के.60+रा.40 / के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायगा।

9— शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मि०-१/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

10— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी०एम०-४ पर दिनांक 15 फरवरी, 2016 तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11— उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

12— उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

13— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-148 पर अंकित है।

संलग्न—उक्तानुसार।

मवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या:१/शा०/ /१/2016 उक्तादिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, इलाहाबाद-211001.
- 3— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-२, उ०प्र० शासन।
- 5— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6— बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7— उप निदेशक(प०)/योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को इस निर्देश के प्रेषित कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 02.06.2016 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त योजनान्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को राज्यांश की वितरित की जाने वाली धनराशि की जनपदवार फॉट की एक प्रति लेखा एवं बजट अनुभाग-१ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही उक्त शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तत्काल अग्रेतर कार्यवाही करें।
- 8— एस०पी०एम०य० सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-21/09/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-92-2016-96-2016
 आवंटन आदेश संख्या:- 003-96-2016
 अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
 लेखाधीषक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
 01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
 03 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ
 (धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जबाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, 30प्र० , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	298305000 1629300000 298305000 1629300000
	योग	वर्तमान प्रगामी	298305000 1629300000

महायोग- (वर्तमान
आवंटन):- रूपया उन्तीस करोड़ तिरासी लाख पाँच हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब बासठ करोड़ तिरानवे लाख


 (केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधीकारी